Nxt. 711 IT 604 30/3/16

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development

School Education Haryana

तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

सेवा में

1. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा गुडगांव।
2. सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य
3. सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य
4. सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य
5. सभी प्राचार्य, डाईट/बाईट

यादी कमांक 2/14–2012 एच0आर0एम0ई0 (4)
दिनांक, पंचकूला :– 29/3/16

विषयः– क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लिपिक के पद पर पदौन्नति हेतू मामले मांगने बारे।

****

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

निदेशालय के ध्यान में आया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकों के कुछ पद रिक्त हैं, अतः इस बारे आपको निर्देश दिए जाते हैं कि अपने–अपने जिले के अधीनस्थ कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदौन्नति मामले जिनकी नियमित नियुक्ति तिथि 01.06.1997 से 31.12.2000 तक है और जो निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करते हैं के पदौन्नति मामले निदेशालय में 15 दिन के अन्दर–अन्दर भेजें जाए :–

1. 5 Years service as Group D employee or Junior Attendant or restorer or Gasman or Gasman-cum-Mechanic or Table player working in Subordinate offices/Institutions of the Department.
2. Passed Matric or Higher Secondary part-I or a recognized University or equivalent and
3. Knows Hindi or English Typewriting.

इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करें कि जो मामले निदेशालय में भेजे जा रहें हैं। उन कर्मचारियों द्वारा उक्त अवधि के बाद स्थानांतरण अन्य स्थान पर न करवाया हो तथा सभी कर्मचारी की सेवापंजी एवं निजी मिसल में ईन्द्राज पूर्ण करके भेजें। अधूरा मामला निदेशालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त अवधि से पहले का मामला यदि नियमानुसार शर्तें पूर्ण करता है तो उसका पूर्ण विवरण अपनी टिप्पणी अंकित करते हुए भेजा जाए। इसके अलावा मामले मे यह भी अंकित किया जाता है कि कर्मचारियों का पदौन्नति मामला भेजते समय सलंग्न प्रोफार्मा पूर्ण करके ही भेजें।

सलंग्नः उपरोक्तानुसार।

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
कृतेः निदेशक सकैण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकुला।

D:\MAHAVIR SIR(4)\Promotion\Promotion Letter 2016.docx

1. पदौन्नति प्रोफार्मा

कर्मचारी का नाम	पद संज्ञा	वर्तमान कार्यस्थान	कर्मचारी की श्रेणी	प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि	शैक्षणिक योग्यता	अन्य टिप्पणी

2. कर्मचारी के विरूद्ध किसी प्रकार की जांच शिकायत लम्बित न होने का प्रमाण पत्र सलंग्न होना चाहिए।

3. कर्मचारी के विरूद्ध किसी प्रकार की न्यायालय एवं पुलिस कार्यावाही ईत्यादि लम्बित न होने बारे प्रमाण पत्र सलंग्न होना चाहिए।

4. कर्मचारी के विरूद्ध नियम–7 व नियम–8 की कार्यवाही लम्बित न होने बारे प्रमाण पत्र सलंग्न होना चाहिए।

5. कर्मचारी का पिछले 10 वर्षों का सेवारिकार्ड अच्छे/बहुत अच्छे/उत्कृष्ठ वर्ग का तथा कर्मचारी का चाल–चलन एवं कार्य सन्तोष जनक होना चाहिए।

6. कर्मचारी की पूर्ण निजी मिसल सलंग्न होनी चाहिए।

7. कर्मचारी पदौन्नति सेवानियम 1998 की शर्तों को पूर्ण करता हो।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

निदेशक एस0सी0ई0आर0टी/
जिला शिक्षा अधिकारी/
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी